रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 311] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 25, 1970/भाद्र 3, 1892

No. 311] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 25, 1970/BHADRA 3, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th August 1970

S.O. 2815.—Whereas the Central Government is of the opinion, that, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the enamelwares should be subject to inspection prior to export:

And whereas the Central Government has formulated the proposal specified below for the said purpose and has forwarded the same to the Export Inspection Council as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964;

Now, therefore, in pursuance of the said sub-rule, and in supersession of the notifications of the Government of India in the late Ministry of Commerce S.O. 2696, dated the 25th August, 1965, S.O. 1275, S.O. 1276 and S.O. 1277 dated the 25th April, 1966, the Central Government hereby publishes the said proposal for the information of the public likely to be affected thereby.

Notice is hereby given that any person desiring to forward any objections or suggestions with respect to the said proposals may forward the same within thirty days of the date of publication of this notification to the Export Inspection Council, 'World Trade Centre', 14/1-B, Ezra Street, 7th Floor, Calcutta-1.

Proposals

(1) To notify that enamelwares shall be subject to quality control and inspection prior to export;

(2) To specify the type of inspection in accordance with the draft Export of Enamelwares (Inspection) Rules, 1969 set out in Annexure I to this notification as the type of inspection which would be applied to such enamelwares prior to export;

(3) To recognise the specifications as declared by the exporter to be the agreed specifications of the export contract for enamelwares subject to a minimum of the specifications as set out in Annexure II to this notification as the standard specifications for enamelware;

(4) To prohibit the export, in the course of international trade, of any such enamelware unless the same is accompanied by a certificate issued by one of the agencies established by the Central Government under section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), to the effect that such enamelwares satisfy the conditions relating to inspection and conform to the specifications applicable to them under item (3).

2. In this notification, "enamelware" means articles made with vitreous enamel (porcelain enamel) other than those with coloured or decorated inside contact surface, meant for domestic and hospital use.

3. Nothing in this notification shall apply to the export by land, sea or air, of samples of enamelwares, the f.o.b. value of which does not exceed one hundred and twenty-five rupees to prospective buyers.

4. This notification shall come into force from. .....

ANNEXURE I

(*See* sub-para 2 of para 1)

Draft rules proposed to be made under section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963.

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Export of Enamelwares (Inspection) Rules, 1969.

(2) They shall come into force on .....

2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires—

(a) 'Act' means the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963);

(b) 'Agency' means any one of the Export Inspection Agencies at Bombay, Calcutta, Cochin, Delhi and Madras established by the Central Government under section 7 of the Act;

(c) 'Council' means the Export Inspection Council established under section 3 of the Act;

(d) 'Enamelware' means articles made with vitreous enamel (porcelain enamel) other than those with coloured or decorated inside contact surface, meant for domestic and hospital use.

3. **Basis of inspection.**—Inspection of enamelwares shall be carried out with a view to seeing that the same conform to the specifications recognised by the Central Government under section 6 of the Act. Sampling shall be done as per the Tables mentioned in the Schedule to these rules.

4. **Procedure of inspection.**—(1) An exporter intending to export enamelwares shall given intimation in writing of his intention so to do and submit along with such intimation the declaration as to agreed specification of the export contract, to any one of the agencies to enable it to carry out the inspection in accordance with rule 3 and shall simultaneously forward a copy of the intimation for inspection to the nearest office of the Export Inspection Council either at 'World Trade Centre', 14/1-B, Ezra Street, 7th Floor, Calcutta-1 or Mani Mahal, 11/21, Mathew Road, Bombay-4 or 6B/9, Northern Extension Area, Rajinder Nagar, New Delhi-5.

(2) Every intimation and declaration under sub-rule (2) shall be given not less than ten days before the expected date of shipment.

(3) On receipt of the intimation and declaration under sub-rule (2), the Agency shall carry out the inspection of enamelwares in accordance with rule 3 and the instructions in this behalf issued by the Export Inspection Council from time to time.

(4) After satisfying itself that enamelwares conform to the requirements of rule 3, the Agency shall issue a certificate declaring the consignment as Export-worthy.

5. **Place of inspection.**—Inspection of enamelwares for the purposes of these rules shall be carried out, either—

(a) at the premises of the manufacturer, or

(b) at the premises at which the goods are offered by the exporter, provided adequate facilities for the purpose exist therein.

6. **Inspection fee.**—Subject to a minimum of rupees twenty five, a fee at the rate of thirty paise for every hundred rupees of the f.o.b. value shall be paid by the exporter to the agency as inspection fee for one or more consignments of any particular item offered at one time and place.

7. **Appeal.**—(1) Any person aggrieved by the refusal of the Agency to issue a certificate under sub-rule (4) of rule 4, may, within ten days of receipt of communication of such refusal by him, prefer an appeal to a panel of exports consisting of not less than three persons appointed for the purpose of the Central Government.

(2) The decision of the panel on such appeal shall be final.

SCHEDULE

Sampling Tables and criteria for conformity

TABLE I

Sl. No.	Reference to paragraphs in Annexure II	Characteristics	Lot size	No. of samples to be tested in a lot	Permissible No. of defectives in the sample
1.	4·1	Adhesion test	All enamelwares of same type and size in a consignment.	2	Nil
2.	4·2	Quench test	Do.	1	Nil
3.	4·3	Leak test	Do.	2	Nil
4.	4·4	Citiric Acid test	Do.	2	Nil
5.	1·2	Material, shape and dimensions		As per sampling schedule given in Table II	As per sampling schedule given in Table II
6.	3	Workmanship and finish	Do.	Do.	Do.

TABLE II

No. of enamelwares in a lot	Sample size	Permissible No. of defectives in the sampel
Upto 100	13	0
101 to 300	32	0
301 to 1000	80	1
1001 to 3000	125	3
3001 to 10000	200	5
10001 and above	300	7

ANNEXURE II

1. *Material*

1.1. The steel sheet should be of a guage as per agreement between the buyer and the exporter.

2. *Shape and dimensions*

2.1. The design, dimensional details and capacity of enamelwares, shall be as per agreement between the buyer and the seller. The tolerances on the same shall be as follows:

Diemensions	—	± 2.5 %
Capacity	—	± 2.5 %

3. *Workmanship and finish*

3.1. The surface of the ware shall not have any flaws like pinholes, cracks or crevices.

3.2. The material shall have a glossy finish, and the colour, texture and thickness of enamel shall be evenly matched.

4. *Tests*

4.1. *Adhesion test.*—A steel ball weighing 100 g. when allowed to fall freely from a height of 57 cm. on the surface of the enamelware, shall not produce any dent or large patch of peeled surface.

4.2. *Quench test.*—The surface of the enamelware shall not show any crack or bare patches when the wares are kept inside a furnace at 200 degrees C for 10—20 minutes and immediately plunged in water at room temperature.

4.3. *Leak test.*—The enamelware shall be allowed to remain in water coloured with eosin for at least 10 minutes. During the test, there shall be no infiltration of coloured water to inside.

4.4. *Citric Acid test.*—The surface of the enamelware shall be free from dirt and grease by wiping with acetone and drying. A 3 cm. diameter thin filter paper shall be placed on the cleaned surface of the enamel, on the top of which a thicker filter paper 2.5 cm. diameter shall be placed. Citric acid solution (100 g/litre) shall be dropped on the filter papers until these are saturated. The filter papers shall be then covered with a watch glass to prevent evaporation. The filter papers shall be removed after 20 ± 1 minutes and the surface shall be washed with running tap water and dried with a clean cloth. The enamel shall not show any perceptible change *i.e.* there shall not be any loss of gloss. The mark of an HB pencil drawn across both the treated and untreated surface shall not be retained more by the one surface than by the other after they have been rubbed with a clean dry cloth.

5. *Packing*

5.1. Enamelwares shall be packed in accordance with the stipulation of the buyer in such a manner as to ensure the safe arrival of the wares to the destination without any damage.

5.2. The packages weighing upto 50 kg. shall be able to withstand a drop from a height of 190 cm. without any damage to the contents inside or package itself. The packages shall also be adequately protected against adverse effects of weather, and moisture contamination.

[No. 60(18)/69-Exp. Insp.]

K. S. BHATNAGAR, Jt. Secy.

विदेशी व्यापार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 1970

का० आ० 2815.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि निर्यात (गुण नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एनैमल का सामान निर्यात से पूर्वत निरीक्षण के अध्यधीन होना चाहिए;

और यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रयोजन के लिए नीचे विनिर्दिष्ट प्रस्ताव बनाये हैं और निर्यात (गुण नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 11 के उपनियम (2) की अपेक्षानुसार उन्हें निर्यात निरीक्षण परिषद को भेज दिया है ;

अतः अब, उक्त उप नियम के अनुसरण में और सरकार के भूतपूर्व वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचनाओं का० आ० 2696 तारीख 25 अगस्त, 1965, का० आ० 1275 और का० आ० 1277 तारीख 25 अप्रैल 1966 को अधिक्रांत करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त प्रस्तावों को उसे जनता की जानकारी के लिए जिसका एतद्द्वारा प्रभावित होना संभाव्य है प्रकाशित करती है । एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि जो व्यक्ति उक्त प्रस्तावों की बाबत आक्षेप या सुझाव भेजना चाहे वे इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिन के भीतर निर्यात निरीक्षण परिषद् 'वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर' 14/1बी एजरा स्ट्रीट, सातवीं मंजिल, कलकत्ता–1 को भेज सकते हैं ।

प्रस्ताव

1. (1) यह अधिसूचित करना है कि एनैमल का सामान निर्यात से पूर्व गुण नियन्त्रण और निरीक्षण के अध्यधीन होगा;

(2) निरीक्षण के उस प्रकार को विनिर्दिष्ट करना जो इस अधिसूचना के उपाबन्ध 1 में किए गए एनैमल का सामान (निरीक्षण) नियम, 1969, के प्रारूप के अनुसार एनैमल के सामान को निर्यात से पूर्व निरीक्षण के प्रकार के रूप में लागू होगा ;

(3) उस विनिर्देश को जिसे निर्यातक एनैमल के सामान के निर्यात संविदा में करार किए गए विनिर्देश के रूप में घोषित करे, इस अधिसूचना के उपाबन्ध (2) में उपवर्णित विनिर्देश के न्यूनतम के अध्यधीन, एनैमल के सामान के लिए मानक विनिर्देश के रूप में मान्यता देना;

(4) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के दौरान एनैमल के सामान का निर्यात तब तक प्रतिषेध करने के लिए जब तक कि उनके साथ निर्यात (गुण नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित अभिकरणों में से एक के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र न हो कि एनैमल का सामान निरीक्षण से सम्बन्धित शर्तों को पूरा करता है और मद (3) के अधीन उनको लागू विनिर्देशों के अनरूप है ।

2. इस अधिसूचना में "एनैमल का सामान" में कोचाम एनैमल (पोर्सेलेन एनैमल) से बनी हुई वस्तुएं (उन वस्तुओं से भिन्न जिनका भीतर का संस्पर्श तल रंगीन या अलंकृत हो, जो घरेलू और अस्पताल के उपयोग के लिये आशयित हैं) अभिप्रेत हैं ।

3. इस अधिसूचना की कोई बात स्थल, समुद्र या वायु द्वारा निर्यात किए गए एनैमल के सामान के उन नमूनों को लागू नहीं होगी जिनका भावी क्रेता के लिए पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य एक सौ पच्चीस रुपय से अधिक न हो ।

4. यह अधिसूचना से प्रवृत होगी ।

उपाबन्ध ।

(पैरा 1 का उप परा 2 देखिये)

निर्यात (गुण नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 के अधीन बनाए जाने वाले प्रस्थापित नियमों का प्रारूप ।

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**.—(1) ये नियम एनैमल के सामान का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1969 कहे जा सकेंगे ।

(2) ये को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं**.—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित हो —

(क) 'अधिनियम' से निर्यात (गुण नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) अभिप्रेत है ;

(ख) 'अभिकरण' से केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित अधिनियम की धारा 7 के अधीन मुम्बई, कलकत्ता कोचीन, दिल्ली और मद्रास में स्थित में से कोई एक निर्यात निरीक्षण अभिकरण अभिप्रेत है ;

(ग) 'परिषद्' से अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित निर्यात निरीक्षण परिषद् अभिप्रेत है;

(घ) 'एनैमल का सामान' से कोचीन एनेमल (पोर्सेलेन एनैमल) से बनी वस्तुएं उन वस्तुओं से भिन्न जिनके भीतर का संस्पर्श तल रंगीन या अलंकृत है जो घरेलू और अस्पताल के उपयोग के लिए आशायित है अभिप्रेत है ।

3. **निरिक्षण का आधार**.—एनैमल के सामान का निरीक्षण यह देखने के आशय से किया जायगा कि वे अधिनियम की धारा 6 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विनिर्देशों के अनुरूप हैं । इन नियमों को अनुसूची में सारणी में वर्णित के अनुसार नमूने लिये जाएंगे ।

4. **निरिक्षण की प्रक्रिया**.—(1) कोई निर्यात कर्त्ता जो एनैमल के सामान का निर्यात करना चाहता हो, ऐसा करने के अपने आशय का एक लिखित प्रज्ञापन देगा और ऐसे प्रज्ञापन के साथ निर्यात संविदा में करार पाए गए विनिर्देशों की एक घोषणा किसी भी एक अभिकरण को देगा ताकि वह नियम 3 के अनुसार निरीक्षण करने में समर्थ हो और साथ साथ निरीक्षण के लिए प्रज्ञापन की एक प्रति निर्यात निरीक्षण परिषद के समीपस्थ कार्यालय, 'वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर' 14/1बी एजरा स्ट्रीट, सातवीं मंजिल कलकत्ता—1, या मनी महल, 11/12, मैथ्यू रोड, मुम्बई—4 या 6 बी/9 नार्दर्न एक्सटेंशन एरिया, राजिन्दर नगर, नई दिल्ली—5 को भेजेंगे ।

(2) उपनियम (2) के अधीन प्रत्येक प्रज्ञापन और घोषणा पोतभरण की संभावित तारीख से दस दिन से अन्यून दी जाएगी ।

(3) उपनियम (2) के अधीन प्रज्ञापन और घोषणा की प्राप्ति पर वह अभिकरण नियम 3 की और परिषद् द्वारा इस निमित्त समय समय पर जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार एनैमल के सामान का निरीक्षण करेगा ।

(4) जब अभिकरण का यह समाधान हो जाए कि एनैमल का सामान नियम 3 की अपेक्षाओं के अनुरूप हैं तो वह यह घोषणा करते हुए कि परेषण निर्यात योग्य है एक प्रमाण पत्र जारी करेगा ।

5. **निरीक्षण का स्थान.**—इन नियमों के प्रयोजन के लिए एनैमल के सामान का निरीक्षण या तो

(क) विनिर्माता के परिसर पर, या

(ख) उस परिसर पर जहां निर्यात कर्ता द्वारा माल प्रस्थापित किया जाता है,

परन्तु यह तब जब कि वहां पर इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त सुविधाएं विद्यमान हों ।

6. **निरीक्षण फीस.**—निर्यातकर्ता अभिकरण को निरीक्षण फीस के रूप में एक और एक समय और स्थान पर किसी विरोध प्रस्थापित मद के किसी एक या अधिक परेषण के लिए पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के प्रति एक सौ रुपये पर तीसपैसे की दर से फीस इस शर्त के अध्यधीन संदत्त करेगा कि न्यूनतम फीस 25 रुपये होगी ।

7. **अपील.**—(1) अभिकरण द्वारा नियम 4 के उपनियम (4) के अधीन प्रमाण पत्र देने से इन्कार करने के कारण व्यथित कोई व्यक्ति उसे ऐसे इन्कार की संसूचना की प्राप्ति के 10 दिन के भीतर केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त तीन से अन्यून व्यक्तियों के विशेषज्ञों के एक पेनल को अपील कर सकता है ।

(2) ऐसी अपील पर पैनल का निश्चय अन्तिम होगा ।

अनुसूची

प्रतिचयन सारणी और अनरूपता-कसौटी

सारणी 1

क्रम सं०	उपाबंध 2 में पैरे का हवाला	लक्षण	लाट आकार	लाट में परीक्षण किए जाने वाले नमूनों की संख्या	नमूने में त्रुटि युक्तो की अनुज्ञेय सं०
1		2	3	4	5
1	4.1	आसंजन परिक्षण	परेषण में एक ही प्रकार और आकार के सब एनैमल का सामान	2	शून्य
2	4.2	शमन परीक्षण	यथोक्त	1	शून्य
3	4.3	च्यधन परीक्षण	यथोक्त	2	शून्य
4	4.4	सिट्रिक अम्ल परीक्षण	यथोनत	2	शून्य

1	2	3	4	5
5	1 और 2	सामग्री, आकार और विमाएं	यथोक्त	सारणी 2 में दी गई प्रतिचयन अनुसूची के अनुसार	सारणी 2 में दी गई प्रतिचयन अनुसूची के अनुसार
6	3	कर्म-कौशल और परिसज्जा	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त

सारणी 2

एक लाट में एनैमल के सामान की संख्या	नमूने का आकार	नमूने में त्रुटियुक्तों की अनुज्ञेय संख्या
100 तक	13	0
101 से 300	32	0
301 से 1000	81	1
1000 से 3000	125	3
3001 से 10,000	200	5
10,000 और अधिक	300	7

उपाबन्ध 2

1. **सामग्री**

1.1 इस्पात की चादर क्रेता और निर्यातक के बीच हुए करार के गेज के अनुसार होनी चाहिए।

2. **आकृति और विमाएं**

2.1 एनैमल के सामान के डिजाइन, विमीय ब्यौरे और धारिता के क्रेता और विक्रेता के बीच हुए करार के अनुसार होगी। उस पर गुंजाइश निम्न के अनुसार होगी :—

विमाएं	‡2.5%
धारिता	‡2.5%

3. **कर्म कौशल और परिसज्जा**

3.1 सामान के तल पर कोई दोष यथा सूची छिद्र, दरारें या विदरिके नही होंगी ।

3.2 सामान की परिसज्जा चमक दार होगी, और एनैमल का रंग, गठन और मोटाई समरूप से मेल खाते होंगे ।

4. **परीक्षण**

4.1 आसंजन परीक्षण.—100 ग्राम भार की इस्पात की एक गेंद जब 57 सें० मी० की ऊंचाई से एनैमल के सामान के तल पर स्वतन्त्र रूप से गिराई जाय तो उस पर न तो कोई चब पड़ेगा या न कोई बड़ी परत निकली सतह बनेगी ।

4.2 शमन परीक्षण.—एनैमल के सामान के तल राल, जब सामान 200 सें० ग्रेड पर 10–12 मिनट के लिये भट्टी में रखने पर और तुरन्त कमरे के तापक्रम पर पानी में डबोने पर दरारे या खाली पैच दिखाई नही देंगे ।

4.3 क्षयवन परीक्षण.—एनैमल के सामान को इयोसिन से रंगीन पानी में कम से कम 10 मिनट के लिये रहने दिया जाएगा । परीक्षण के दौरान रंगीन पानी का भीतर अन्तः स्पन्दन नही होगा ।

सिट्रिक अम्ल परीक्षण.—एनैमल के सामान का तल ऐसीटोन से पोछने और सुखाने पर धूल और ग्रीज से मुक्त होगा । एनैमल के साफ तल पर 3 सेंटी मीटर व्यास का एक फिल्टर पत्र रखा जाएगा जिसके ऊपरी सिरे पर 2.5 सें० मी० व्यास का उससे मोटा फिल्टर पत्र रखा जाएगा । सिट्रिक अम्ल का विलयन (100 ग्राम लिटर) फिल्टर पत्रों पर तब तक गिराया जाएगा जब तक वे संतृप्त न हो जाएं । तब वाष्पन को रोकने के लिए फिल्टर पत्र षाच-ग्लास से ढक दिये जायेंगे । फिल्टर पत्र 20 + 1 मिनट पश्चात् हटा लिये जायेंगे और तल नल के बहते हुए पानी से धोया जाएगा और साफ कपड़े से सुखाया जाएगा । एनैमल में कोई प्रत्यक्षदर्शी परिवर्तन, नहीं दिखाई देगा अर्थात् चमक में कोई कमी नही होगी । उपचारित और अनुपचारित दोनों तलों पर, एच बी पेंसिल का खींचा हुआ चिह्न साफ सूखे कपड़े से रगड़ने के पश्चात् एक तल पर दूसरे तल से अधिक ही रहेगा ।

5. **पैकिंग**

5.1 एनैमल का सामान क्रेता के साथ किये गये अनुबन्ध के अनुसार इस रीति से पैक किया जाएगा जिससे सामान की गन्तव्य स्थान पर बिना किसी क्षति के सुरक्षित पहुंच सुनिश्चित हो सके ।

5.2 50 किलो ग्राम भार तक के पैकेज, 190 सेंटीमीटर की ऊंचाई से गिरने पर इसमें के अन्तर्विष्टों या पैकेज को कोई क्षति पहुंचाए बिना, सहन करने में समर्थ होंगे । पैकेज मौसम के प्रतिकूल प्रभाव और नमी संदूषण से पर्याप्ततः संरक्षित किये जाएंगे ।

[सं० एफ० 60(18)/69-एक्सपो इन्सपे०]

के० एस० भटनागर, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970